UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT
MAGAHI LANGUAGE (Dhanuk)

मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८

प्रस्तावना

विश्वभरीके मानव परिवारक सव सदस्यके अन्तरनिहित प्रतिष्ठा, समानता आ अहरणीय अधिकार सवके सम्मानक लेल स्वतन्त्रता, न्याय आ शान्ति आधार भेलाक कारण,

मानव अधिकारसवके अवहेलना आ उपेक्षाके परिणाम स्वरुप मानव जातिके विचारमे आघात परैवला जका कसाईसनके काजसव भेलाक कारण आ मानव जातिके निर्धक भक अपन आस्था आ वोली स्वतन्त्रताके प्रयोग करैल पावल सर्वसाधारण जनताके आकांक्षा भेलाक कारण,

अत्याचार आ दमनके विरुद्ध अन्तिम उपायके रुपमे विद्रोह करैवला आदमीके मजवुर नै करकलेल कानूनके शासन द्वारा मानव अधिकारके संरक्षण करैक लेल अत्यावशक भेलाक कारण,

संयुक्त राष्ट्र संघके जनतासव वडापत्रमे मानवके अपन अधिकारसव आ मानवके प्रतिष्ठा तथा पुरुष आउर महिला विच वरावर अधिकारसव अभिव्यक्तकैर वृहत स्वतन्त्रताके साथ सामाजिक तरकी आउर जीवन स्तर विकाशकर खातिर कठोर संकल्प केलाक कारण,

सदस्य राष्ट्रसव संयुक्त राष्ट्रसंघके साथ सहयोगमे मानव अधिकारसव आउर मौलीक स्वतन्त्रता प्राप्तकैर विश्वव्यापी सम्मान, पालना आ विकाशकर खातिर प्रतिज्ञा केलाक कारण आ यी अधिकार आ स्वतन्त्रता पूरा प्राप्तीके लेलसमान समझदारी होनाई महत्वपूर्ण भेलाक कारण,

महासभामे सव जनतासव आउरसव राष्ट्रसव हासिल करैवला एक साझा मापदडके रुपमे अई मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र घोषणा करैछै आ अई उदेश्यकेलेल सव लोग आ समाजके सव अंगसव अई घोषणपत्रके निरन्तर धियानमे राइख शिक्षण तथा शिक्षाके माध्यमस यी अधिकार आ स्वतन्त्रताके प्रति सम्मान प्रर्वद्धन करैला देश तथा विदेश स्तरमे, सदस्य राष्ट्रके जनतासवके बिच ओइसवके क्षेत्र आ क्षेत्राधिकार अर्न्तगत ओइ अधिकार सवके सम्मान आउर पालना करैके प्रयत्न रहैके विश्वास लेनेछै।

धारा १)

सव लोग सव प्रतिष्ठा आ अधिकारके आधारपर जन्मजात स्वतन्त्र आ समान होइछै। उ सव बुद्धि आ विवेक लक आएल रहेछै आ एक दोसरप्रति भाइचाराके व्यवहार करपरैछै।

नेपाल धानुक समाज
रामवली मण्डल - अध्यक्ष



धारा २)

जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक तथा अन्य विचारधारा, देश तथा सामाजिक उत्पति, सम्पति, जन्म तथा अन्य कोनो हैसियत जका कोनो बहानाके आधारमे कोनो किसिमके भेदभाव विना प्रत्येक व्यक्ति सवके अई घोषणपत्रमे उल्लेखित अधिकार आ स्वतन्त्रताके अधिकार हेतै । अइके वाहेक राजनितिक, क्षेत्रधिकार वा दोसर देश वा क्षेत्रस सम्वन्धित लोक, कोनो स्वतन्त्र, संरक्षित, स्वशासन रहित वा वाहिर सतास शासित देश जका कोनो हालतमे भेदभाव नै करतै ।

धारा ३)

सव लोगके जीवन स्वतन्त्रता आ सुरक्षाके अधिकार हेतै ।

धारा ४)

कोनोभी लोगके बधुवा वा दास बनाक नै राखल जेतै । कोनोभी किसिमके दासत्व आ दास ब्यापारके पूरापुरी निषेध केने छै ।

धारा ५)

कोनोभी लोगके शारीरिक यातना देनाई वा क्रुर,अमानवीय वा अपमानजनक ब्यवहार वा सजाय नै करलजेतै ।

धारा ६)

सवठाम कानूनके नजरमे सवलोगके ब्यक्तिके रुपमे मान्यता पावके अधिकार हेतै ।

धारा७)

सवलोगके विना भेदभाव कानूनके नजरमे बरावर हेतै आ कानूनके आधारमे सवगोटके बरावर ब्यवहार करलजेतै । सवलोगके अई घोषणापत्रके उलंघन वा अन्य कोनो किसिमके भेदभाव वा कोनो किसिमके भेदभावके लेल उतेजित करैवलाके विरुद्ध कानूनके समान संरक्षण पावैके अधिकार हेतै ।

धारा ८)

सवलोगके संविधान वा कानूनद्धारा प्रदान केलगेल मौलिक अधिकार सवके उलंघन करैवला काजसवके विरुद्ध सक्षम न्यायलयस प्रभावकारी उपचार पावैके अधिकार हेतै ।

रामवणी मण्डल - अध्यक्ष

धारा ९)

कोनो लोगके स्वेक्षाकारी ढंगस गिरफतार करनाई, नजरवन्दमे रखनाई वा देश निकाला नै करलजेतै ।

धारा १०)

सवलोगके ओकरा उपर लगाएलगेल फौजदारी अभियोग वा ओकर अधिकार आ जिम्मेवारीके निरुपण करैत समय स्वतंत्र आउर सक्षम न्यायलयमे बरावर ढंगस निष्पक्ष आ सार्वजनिक सुनुवाई करपावैके अधिकार हेतै ।

धारा ११)

क) दण्डनीय कसुरके अभियोग लागल सव लोगके सार्वजनिक सुनुवाईमे अपन प्रतिरक्षाके लेल आवश्यक प्रमाणसव पेश करैला आ कानून वमोजिम दोषि प्रमाणित नै भेल समयधरी निर्दोष हैके अधिकार हेतै ।

ख) कोनो लोगके काम करैत समय राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय कानूनके दण्डनिय कसुर नै ठहरल कामके तेहेन काम करैवला कोनो भी लोगके दण्डनिय कसुरके दोषी प्रमाणित कैर सजाय नै देलजेतै ।

धारा १२)

कोनो भी लोगके गोपनियता, परिवार, घर वा पत्र व्यवहार स्वेच्छाचारी वा गैरकानून हस्तक्षेप नै करलजेतै । आ ओकर प्रतिरक्षा तथा नाममे सेहो गैरकानूनी आक्रमन नै करलजेतै । सवलोगके तेहन हस्तक्षेप वा आक्रमन विरुद्ध कानूनद्धारा संरक्षण पावैके अधिकार हेतै ।

धारा १३)

क) सव लोगके अपन देशके सिमाना भितर आवत जावत करैके तथा रहैल पावैके स्वतन्त्रताके अधिकार हेतै ।

ख) सव लोगके अपन देश घुरीक आवैला अधिकार हेतै ।

धारा १४)

क) सव लोगके अत्याचार आ उत्पीडनस बचैके लेल कोनोभी देशमे आश्रय लैके अधिकार हेतै ।

ख) गैर राजनीतिक अपराधसव वा संयुक्त राष्ट्रसंघके उदेश्य आ सिद्धान्तसव विरुद्धके कामस वास्तविक रुपमे उत्पन्न मुदासवमे यीअधिकारके प्रयोग नै कर सकैछी ।

रामवली मण्डल - अहयक्ष

NEPAL DHANUK SOCIETY 2004 A.D.

धारा १५)

क) सव लोगके राष्ट्रियताके अधिकार हेतै ।

ख) कोनोभी लोगके स्वेच्छाचारी ढंगस ओकनिके राष्ट्रियतास वञ्चित नै कैर सकैछै । आ कोनोभी लोगके राष्ट्रियता परिवर्तन करैल पावैके अधिकारस सेहो वञ्चित नै कैर सकैछै ।

धारा १६)

क) उमेर पुगल पुरुष तथा महिलाके जाति, राष्ट्रियता वा धर्मके वन्देज विना विवाह करैत समय, आ विवाह विच्छेदके समय बरावर अधिकार सव प्राप्त हेतै ।

ख) दुलहा आ दुल्ही दुनुके स्वतन्त्र तथा पूर्ण मन्जुरीमे मात्र विवाह सम्पन्न करलजेतै ।

ग) परिवार समाजके प्राकृतिक तथा आधार भुत इकाई चियै तहिदुवार परिवारके समाज तथा राष्ट्रस संरक्षण पावैके अधिकार राखैछै ।

धारा १७)

क) सव लोगके अपन व्यक्तिगतके साथे आ व्यक्तिके संलगन्तामे सम्पति राखैके अधिकार हेतै ।

ख) कोनोभी लोगके स्वेच्छाचारी ढंगस ओकनिके सम्पतिस वन्चित नै करलजेतै ।

धारा १८)

सव लोगके अपन विचार राखैके, वुद्धि प्रयोग करैके तथा धर्मके स्वतन्त्रताके अधिकार हेतै । जैके भितर उ लोग अपन पसन्द धर्म चाहे आस्था परिवर्तन करैके स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत रुपमे वा दोसर स मिलक, सार्वजनिक वा निजी रुपमे पूजापाठ करैके स्वतन्त्रताके साथे, अपन धर्म मान्नाई, अपन धर्म सिखेनाई, आस्था प्रकाश करनाई, पुजापाठ करैके पावैला स्वतन्त्रता सव परैछै ।

धारा १९)

सवलोगके विचार आ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताके अधिकार हेतै । जैके भितर विना हस्तक्षेप अपन विचारसव राखैल पावैके स्वतन्त्रता, सिमानाके वन्देज विना कोनोभी तरिकास सूचना आ विचारसव प्राप्त करैके, खोजनाई तथा प्रसार करैके स्वतन्त्रता समेत परैछै ।

धारा २०)

क) सव लोगके शान्तिपूर्वक सभा करैके आउर संगठन खोलैके स्वतन्त्रताके अधिकार हेतै ।

NEPAL DHANUK SOCIETY 2004 A.D

रामवली मण्डल – अध्यक्ष

ख) कोनोभी लोगके कोनोभी संगठनमे सामेल हैके लेल मजवुर नै कैर सकैछै ।

धारा २१)

क) सव लोगके प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रुपस चुनल प्रतिनिधि मार्फत अपन देशक सरकारमे भागलैके अधिकार हेतै ।

ख) सव लोगके अपन देशके सार्वजनिक सेवामे वरावर पहुँच पावैके अधिकार हेतै ।

ग) सरकारके शासन करैके आधार जनताके इच्छाहेतै एहन ईच्छा आवधिक आ निष्पक्ष मतदानद्धारा अभिव्यक्त करलजेतै आ तेहन निष्पक्ष मतदानद्धारा अभिव्यक्त करलजेतै आ तेहन निर्वाचन गोप्य मतदान वा आरो तेहने किसिमके स्वतन्त्र मतदान प्रणालीद्धारा करलजेतै ।

धारा २२)

समाजके सदस्यके हैसियतमे सवलोगके सामाजिक सुरक्षाके अधिकार हेतै । साथे सवलोगके राजयके प्रत्यक्ष वा अन्तराष्ट्रिय सहयोग मार्फत तथा सव देशके स्रोत आ साधन अनुसार ओकर प्रतिष्ठा आ स्वतन्त्र व्यक्तित्वके विकाशके लेलअपरिहार्य आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकारसव उपभोग करैके अधिकार हेतै ।

धारा २३)

क) सव लोगके काम करैके, स्वेच्छास रोजगारी खोजनाई आ काम करैके लेल उचितआ अनुकुल अवस्थाके निर्माणआ वेरोजगारी उपर संरक्षण प्राप्त करैके अधिकार हेतै ।

ख) सव लोगके विना कोनो भेदभाव वरावर कामके लेल बरावर पारिश्रमिक पावैके अधिकार हेतै ।

ग) काम करैवला सवलोग आ ओकनिके परिवारके लेलमानविय प्रतिष्ठा बमोजिम जीवैके बनदोवस्तके लेल उचित तथा अनुकुल पारिश्रमिक पावैके आ आवश्यक परलाक वाद सामाजिक संरक्षणद्धारा तथा अन्य उपायस ओईमे छेकवारकेअधिकार हेतै ।

घ) सव लोगके अपन हितके रक्षाके लेल ट्रेड यूनियन खोलैके तथा ओइमे सहभागी हैल पावैकेअधिकार हेतै ।

धारा २४)

सव लोगके मुनासिव काम समय सिमा आ वेतन सहितके अवधिके विदा सहित विश्राम आ फूर्सतके अधिकार हेतै ।

रामवली मण्डल - अध्यक्ष



धारा २५)

क) सव लोगके ओकनिके आ ओकनिके परिवारके स्वास्थ्य तथा कल्याणके लेल खाधान्य, कपडा, आवास तथा दवाई दारुके सुविधासव आ आवश्यकता अनुसारके सामाजिक सेवा सहित स्तरयुक्त जीनगी वितावैके अधिकार हेतै । साथे वेरोजगारी, वेमारी, असमर्थता,विधवा, वूढविद्धा वा ओकनिके कावुस वाहार अन्य परिस्थितिमे साधन आ स्रोतके अभावमे जीनगी काटैमे समस्या भेल बखतमे सुरक्षाके अधिकार हेतै ।

ख)माय आउर बच्चाके विशेष देखभाल आ सहयोग करैके हेतै । वैवाहिक समवन्ध भेल वा नै भेल लेकीन जन्म लेल सव वाल बच्चा सवके बरावर सामाजिक संरक्षण उपभोग करैके अधिकार हेतै ।

धारा २६)

क) सव लोगके शिक्षाके अधिकार हेतै । कमसेकम प्रारमभिक आ आधारभुत शिक्षा विना पैसाके हेतै । प्रारमभिक शिक्षा अनिवार्य हेतै । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सवगोटके सुलभ हेतै आ उच्च शिक्षा योग्यताके आधारमे सवगोटके बरावर उपल्वध हेतै ।

ख) शिक्षा मानविय व्यक्तित्वके पूरा विकास आ मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताके सम्मानके मजवुतकरै दिस निर्देशित हेतै । शिक्षास सव राष्ट्र जाति तथा धार्मिक समुहसव विच समझदारी, सहिष्णुता आ दोस्तीके मजवुत करैके आ संयुक्त राष्ट्रसंघके शान्ति कायम करैके प्रयास सवके अगाडी बढावैल सहयोग करतै ।

ग) अपन वाल वच्चासवके दैवला शिक्षा चुनैके प्राथमिक अधिकार माय बावुके हेतै ।

धारा २७)

क) सव लोगके अपन समुदायके सांस्कृतिक जीवनमे स्वतन्त्र पूर्वक सहभागी हैके, कला प्रयोग करैके आ वैज्ञानिक प्रगति तथा अईके उपयोगके फाईदासव उपभोग करैके अधिकार हेतै ।

ख) सवलोगके ओकनिके रचना वा सृजना करल कोनो भी वैज्ञानिक, साहित्यीक वा कलात्मक कृतिस प्राप्त भेल नैतिक आ भौतिक फाईदा सवके संरक्षण करैक अधिकार हेतै ।

धारा २८)

सव लोगके अई घोषणापत्रमे लिखल गेल अधिकार आ स्वतन्त्रतासव पूर्ण रुपमे प्राप्त करैके सामाजिक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाके अधिकार हेतै ।

सञ्चयन - रामवली मण्डल

धारा २९)



क) सवलोगके अपन समाज प्रति जिम्मेवारी हेतै । तेहन समाजमे रैहक मात्र लोगके स्वतन्त्रता आ पूर्ण ब्यक्तित्व विकासके सम्भावना हेतै ।

ख) अपन अधिकार आ स्वतन्त्रता उपभोग करैत समय सवलोग दोसरके अधिकार आ स्वतन्त्रताके सम्मान कर परतै आ प्रजातान्त्रीक समाजके नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आ सर्व साधारणके कलयानके लेल आवश्यक उचित आवश्यकता सव हासील करैत काल कानूनद्धारा निर्धारन केलगेल सिमा भितर रह परतै ।

ग) यी अधिकार आ स्वतन्त्रासव संयुक्त राष्ट्रसंघके सिद्धान्त आ उदेश्य सव विपरित हैवला कोनोभी हालतमे उपभोगनै कर सकैछी ।

धारा ३०)

कोनो राष्ट्र समुदाय वा लोग सव अई घोषणापत्रमे उल्लेख केलगेल अधिकार आ स्वतन्त्रताके कुठाघात करैके उदेश्यस तेहन तरहके काम कैर सकै जका वा काम करै जका अई घोषणापत्रमे उल्लेख केलगेल अधिकार आ स्वतन्त्रताके व्याख्या नै कैर सकैछै ।

(१० डिसेम्वर १९४८ मे संयुक्त राष्ट्रसंघके महासभाद्धारा पारित)

